भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1535
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

मंत्रालय में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या

1535. श्री अम्बेथ राजन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में समूह-वार कर्मचारियों की कुल संस्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कुल संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए कितनी नौकरियां निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या न होने के कारण, यदि कोई हों, तो क्या हैं ?

उत्तर

जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला)

(क) और (ख) विवरण अनुलग्नक - I पर संलग्न है ।

(ग) कर्मचारियों की संख्या सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप है । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सहित रिक्त पदों को भरा जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ।

*****

अनुलग्नक - I

जल संसाधन मंत्रालय में स्टाफ की संख्या

समूह	स्वीकृत	उद्दिष्ट पद	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह 'क'	129	- (*)	- (*)
समूह 'ख'	478	28 (**)	13 (**)
समूह 'ग'	457	67	33

(*) मात्र 63 पद लिपिकवर्गीय है, जिन्हें मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार डीओपीटी के माध्यम से भरा जाता है । समूह 'क' के कुछ पद, जिन्हें केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से भरा जाता है, के संबंध में आरक्षण लागू नहीं होता हे । अन्य पदों को विभिन्न संवर्गों जैसे - आईएसएस, आईईएस, सीएसओएल, सीडब्ल्यूईएस आदि के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है ।

(**) अनुभाग अधिकारी / सहायक के 248 पद हैं जिनके आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है । 36 पद तकनीकी हैं, जिन्हें विभिन्न तरीकों/ संवर्गों के माध्यम से भरा जाता है ।

*****